संख्या: 1654 /XII(1) /2015- 96(06)/2015

प्रेषक,

हरबंस सिंह चुघ,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

पंचायतीराज अनुभाग–1 देहरादून, दिनांक : 18 सितम्बर, 2015

विषय :–"डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम ग्राम बदलाव योजना" के संबंध में आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में प्रतिभाग किए जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या–1513 /XII(1) /2015-96(06)/2015 दिनांक 03.09.2015 एवं शासनादेश संख्या–1625/XII(1)/2015- 96(06)/ 2015 दिनांक 10.09.2015 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। "डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम ग्राम बदलाव योजना" के विषय में कतिपय मुख्य विकास अधिकारियों से प्राप्त जिज्ञासाओं एवं प्रशिक्षण की मांग के दृष्टिगत शासन स्तर से सम्यक विचारोपरांत लिए गये निर्णय के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि देहरादून में दिनांक 23.09.2015 को प्रातः 9.30 बजे से उक्त विषय पर 01 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है।

2– उक्त 01 दिवसीय कार्यशाला में समस्त जनपदों के मुख्य विकास अधिकारी/जिला पंचायतराज अधिकारी/जिला एवं अर्थ संख्या अधिकारी की उपस्थिति अपेक्षित है। उक्त के अतिरिक्त मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि बैठक में उपस्थित होने वाले समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी प्रत्येक जिले के 01 ग्राम प्रधान को भी बैठक में प्रतिभाग किए जाने हेतु आवश्यक रूप से साथ लायें, जो ड्राफ्ट प्लान तैयार करने आदि को समझ पाने एवं पंचायत की लेखा प्रणाली के विषय में फीडबैक देने में सहयोग प्रदान करेंगे।

3– कार्यशाला को राज्य सरकार के शीर्ष अधिकारियों एवं भारत सरकार से पधार रही सुश्री शारदा मुरलीधरन, संयुक्त सचिव, पंचायतीराज मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली एवं अन्य विशेषज्ञों द्वारा सम्बोधित किया जायेगा। अतः उपरोक्त बैठक में अनिवार्य रूप से प्रतिभाग करना सुनिश्चित करेंगे।

4– बैठक के स्थान की सूचना पृथक से प्रेषित कर दी जायेगी किसी भी जानकारी हेतु सम्पर्क मोबाईल नम्बर– 7055200901, 9411328455

भवदीय,

(हरबंस सिंह चुघ) 18
अपर सचिव।

संख्या: —— (1)/XII(1) /2015- 96(06)/2015, तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– निजी सचिव, मा0 पंचायतीराज मंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
2– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

3– निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव एवं आयुक्त, एफ0आर0डी0सी0, उत्तराखण्ड शासन।
4– निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
5– निजी सचिव, सचिव, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड शासन।
6– निदेशक, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7– निदेशक, अर्थ एवं संख्या, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8– अधिशासी निदेशक, उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास संस्थान, रूद्रपुर, ऊधमसिंहनगर को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त कार्यशाला में 02 अधिकारियों/विशेषज्ञों को प्रतिभाग किए जाने हेतु नामित करने का कष्ट करें।
9– समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड। (प्रतिभाग हेतु)
10– समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी, उत्तराखण्ड।(प्रतिभाग हेतु)
11– समस्त जिला एवं अर्थ संख्या अधिकारी, उत्तराखण्ड।(प्रतिभाग हेतु)
12– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(हरबंस सिंह चुघ)
अपर सचिव।